


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 अगस्त 2010—भाद्र 4, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13/26 अगस्त 2010

क्र. 11-एफ-क्र. 1-21-2010-अटारह-3.—राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अन्तर्गत नवगठित नगर पंचायत, शाहगंज, जिला-सीहोर एवं नगर पंचायत, धामनौद, जिला-रतलाम में अध्यक्ष के पद के आरक्षण के लिये आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है. विहित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2010 को किये गये आरक्षण की सूची, उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (3) अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

- |     |                                 |                       |
|-----|---------------------------------|-----------------------|
| (1) | नगर पंचायत, शाहगंज (जिला-सीहोर) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| (2) | नगर पंचायत, धामनौद (जिला-रतलाम) | अनुसूचित जनजाति.      |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. पी. एस. परिहार, सचिव.